

## विक्रय की उद्घोषणा

(नियम 29 व 54)

न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली), खान एवं भूविज्ञान विभाग—दौसा

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956) की धारा 230—235—237 के अधीन चूक करने वाले श्री रामकरण मीणा पुत्र श्री जादूराम मीणा निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्च, तथा विक्रय का खर्च जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पत्ति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है, विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों में सम्पत्ति का विक्रय किया जायेगा।

स्थान को किसी आज्ञा के अभाव में, विक्रय सर्वेयर/खनि कार्यदेशक—ग (अधिकारी का नाम बताया जाये) श्री राकेश कुमार मीना के द्वारा दिनांक २१.०२.२०२२ को ११.५५ A.M. बजे (विक्रय का स्थान बताया जाये) में किया जायेगा। तथापि किसी भी लोट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में वर्णित बकाया तथा विक्रय के खर्च दे दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा। विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं:—

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये हैं, परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि, गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के सम्बन्ध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में लॉट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जावेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि वह बोली लगाने के लिए वैधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि उंची बोली को मंजूर करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विक्रय करने वाले अधिकारी के विवके पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।
4. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ओर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थगित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में, प्रत्येक लॉट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्य मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत, विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विक्रय में होने वाले खर्च के लिए तथा पुनः विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिए उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजस्व बकाया हो।

(ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम, सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि के क्रय—मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्च निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी और दोषी खरीददार सम्पत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिए वह फिर से बेची जाये, समस्त हक खो बैठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारों से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फेविट्रियों के निर्माण के लिये या बागों तालाबों नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये, अस्थाई या रथाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा चुकाने से पूर्व सिकी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मारफत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाये जैसा कि सरकार उचित समझे।

### अनुसूची वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम:— 89950/-
2. कुर्की का खर्च:— नियमानुसार
3. विक्रय का या यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्च:—  
नियमानुसार।

**योग:—89950—**

**बेची जाने वाली सम्पत्ति:**— श्री रामकरण मीणा पुत्र श्री जादूराम मीणा निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्बत् 2074–2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 254 व नया खाता संख्या 255 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 117 रकबा 4.87 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 117 / 951 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 125 रकबा 0.010 हैक्टेयर, खसरा संख्या 126 रकबा 4.64 हैक्टेयर, खसरा संख्या 137 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 144 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा संख्या 151 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 302 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 303 रकबा 3.48 हैक्टेयर हैक्टेयर कुल खसरे 09 कुल रकबा 14.50 हैक्टेयर में से श्री जादूराम मीणा का हिस्सा 1 / 8 तथा सम्बत् 2074–2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 253 व नया खाता संख्या 253 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 110 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 111 रकबा 7.10 हैक्टेयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 7.11 हैक्टेयर में से श्री रामकरण मीणा का हिस्सा 1 / 2.

समूहों (लॉटो) की संख्या:-

बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण:- बाकीदार श्री रामकरण मीणा पुत्र श्री जादूराम मीणा निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्बत् 2074-2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 254 व नया खाता संख्या 255 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 117 रकबा 4.87 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 117/951 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 125 संख्या 144 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा संख्या 151 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 302 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 303 रकबा 3.48 हैक्टेयर हैक्टेयर कुल खसरे 09 कुल रकबा 14.50 हैक्टेयर में से श्री जादूराम मीणा का हिस्सा 1/8 तथा सम्बत् 2074-2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 253 व नया खाता संख्या 253 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 110 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 111 रकबा 7.10 हैक्टेयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 7.11 हैक्टेयर में से श्री रामकरण मीणा का हिस्सा 1/2.

राजस्थान एक्ट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्व:-

भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मारफत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 236 की उप-धारा (3):-

क्रमांक:- सखअ/दौसा/वसूली/2022/1547-1553

दिनांक: 22/12/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
2. श्रीमान् तहसीलदार, लालसोट
3. DMGOMS को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करावे।
4. पुलिस थाना लालसोट को तामिल कराने हेतु।
5. सर्वेयर/खनि कार्यादेशक-ग कार्यालय हाजा।
6. नगर परिषद लालसोट।
7. श्री रामकरण मीणा पुत्र श्री जादूराम मीणा निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा

आज दिनांक 22/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई है।

सहायक खनि अभियन्ता (वसूली)  
खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा

## विक्रय की उद्घोषणा

(नियम 29 व 54)

**न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली), खान एवं भूविज्ञान विभाग—दौसा**

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू राजरच अधिनियम, 1956 (राजस्थान एकट 15 ऑफ 1956) की धारा 230—235—237 के अधीन चूक करने वाले श्री दीन दयाल मीणा पुत्र श्री मेदाराम निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्च, तथा विक्रय का खर्च जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों में सम्पत्ति का विक्रय किया जायेगा।

रस्थान को किसी आज्ञा के अभाव में, विक्रय सर्वेयर/खनि कार्यदेशक—ग (अधिकारी का नाम बताया जाये) श्री राकेश कुमार मीना के द्वारा दिनांक 16.02.2023 को 2.00 P.M. बजे (विक्रय का स्थान बताया जाये) में किया जायेगा। तथापि किसी भी लोट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में वर्णित बकाया तथा विक्रय के खर्च दे दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

**सामान्यतः** विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुसृति के बिना वैध होगा। विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट व्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये है, परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि, गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के सम्बन्ध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में लॉट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जावेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि वह बोली लगाने के लिए वैधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि उंची बोली को मंजूर करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विक्रय करने वाले अधिकारी के विवक्ते पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।
4. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ओर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थगित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में, प्रत्येक लॉट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्य मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत, विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विक्रय में होने वाले खर्च के लिए तथा पुनः विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिए उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजसव बकाया हो।

(ख) खरीददार द्वारा कर्य मूल्य की पूरी रकम, सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि के कर्य-मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् सम्पत्ति पिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्च निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी और दोषी खरीददार सम्पत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिए वह फिर से बेची जाये, समस्त हक खो दैठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर् उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारों से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यवित्त पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फेविट्रियों के निर्माण के लिये या बागों तालाबों नहरों, पूजा के स्थानों या शमशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये, अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा चुकाने से पूर्व सिकी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मारफत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाये जैसा कि सरकार उचित समझे।

### अनुसूची वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम:- 263900/-
2. कुर्की का खर्च:- नियमानुसार
3. विक्रय का या यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्च:-  
नियमानुसार।

योग:- 263900/-

**बेची जाने वाली सम्पत्ति:-** श्री दीन दयाल मीणा पुत्र श्री मेदाराम निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्बत् 2074-2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 137 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 777 रकबा 1.23 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1004/719 रकबा 1.51 हैक्टेयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 2.74 हैक्टेयर में से श्री दीनदयाल का हिस्सा 1/3.

**समूहों (लॉटों) की संख्या:-**

बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण:- बाकीदार श्री दीन दयाल मीणा पुत्र श्री मेदाराम निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्बत् 2074-2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 137 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 777 रकबा 1.23 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1004/719 रकबा 1.51 हैक्टेयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 2.74 हैक्टेयर में से श्री दीनदयाल का हिस्सा 1/3.

राजस्थान एकट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्व:-  
भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मारफत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो  
उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एकट 15 ऑफ 1956 की  
धारा 236 की उप-धारा (3):-

क्रमांक:- सख्त/दौसा/वसूली/2022/1540—1546

दिनांक: २२।१२।२०२२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
2. श्रीमान् तहसीलदार, लालसोट
3. DMGOMS को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी विज्ञाप्ति को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करावे।
4. पुलिस थाना लालसोट को तामिल कराने हेतु।
5. सर्वेयर/खनि कार्यादेशक—गा कार्यालय हाजा।
6. नगर परिषद लालसोट।
7. श्री दीन दयाल मीणा पुत्र श्री मेदाराम निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा

आज दिनांक २२।१२।२०२२ को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई है।

  
सहायक खनि अभियन्ता (वसूली)  
खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा

## विकाय की उद्घोषणा

(नियम 29 व 54)

### न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली), खान एवं भूविज्ञान विभाग—दौसा

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान एकट 15 ऑफ 1956) की धारा 230—235—237 के अधीन चूक करने वाले श्री महेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवत्पुरा तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्च, तथा विकाय का खर्च जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पत्ति के विकाय के लिये इस न्यायालय द्वारा आँजा दे दी गई है, विकाय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों में सम्पत्ति का विकाय किया जायेगा।

स्थान को किसी आँजा के अभाव में, विकाय सर्वेयर/खनि कार्यदेशक—ा (अधिकारी का नाम बताया जाये) श्री राकेश कुमार भीना के द्वारा दिनांक... 10.02.2023... को 2,19,111... बजे (विकाय का स्थान बताया जाये) में किया जायेगा। तथापि किसी भी लोट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में विर्निष्ट बकाया तथा विकाय के खर्च दे दिये जाने की दशा में विकाय बन्द कर दिया जायेगा।

**सामान्यतः** विकाय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विकाय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा। विकाय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट व्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये हैं, परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि, गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विकाय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के सम्बन्ध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में लॉट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जावेगा।
3. सबसे ऊंची बोली लगाने वाला किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि वह बोली लगाने के लिए वैधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि ऊंची बोली को मंजूर करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विकाय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।
4. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ओर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विकाय को स्थगित करना, विकाय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में, प्रत्येक लॉट का मूल्य विकाय के समय या विकाय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्य मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत, विकाय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विकाय में होने वाले खर्च के लिए तथा पुनः विकाय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिए उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजस्व बकाया हो।

(ख) खरीददार द्वारा क्य मूल्य की पूरी रकम, सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि के क्य-मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी और दोषी खरीददार सम्पत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिए वह फिर से बेची जाये, समस्त हक खो वैठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारों से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फेकिट्रियों के निर्माण के लिये या बागों तालाबों नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये, अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा चुकाने से पूर्व सिकी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मारफत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाये जैसा कि सरकार उचित समझे।

### अनुसूची वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम:- 339950/-
2. कुर्की का खर्चा:- नियमानुसार
3. विक्रय का या यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चा:-  
नियमानुसार।

योग:-339950-

**बेची जाने वाली सम्पत्ति:-** श्री महेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्बत् 2072-2075 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 41 व नया खाता संख्या 40 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 131 रकबा 4.02 बीघा-बीस्वा में हिस्सा 1/2 एवं पुराना खाता संख्या 40 व नया खाता संख्या 39 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 15.16 बीघा-बीस्वा में हिस्सा 98/316.

**समूहों (लॉटों) की संख्या:-**

बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण:- बाकीदार श्री महेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्बत् 2072-2075 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 41 व नया खाता संख्या 40 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 131 रकबा 4.02 बीघा-बीस्वा में हिस्सा 1/2 एवं पुराना खाता संख्या 40 व नया खाता संख्या 39 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 15.16 बीघा-बीस्वा में हिस्सा 98/316.

राजस्थान एकट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्व:-  
भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मारफत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो  
उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एकट 15 ऑफ 1956 की  
धारा 236 की उप-धारा (3):-

क्रमांक:- सख्त/दौसा/वसूली/2022/ १५३३ ~ १५३९

दिनांक: २२।१२।२०२२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
2. श्रीमान् तहसीलदार, लालसोट
3. DMGOMS को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करावे।
4. पुलिस थाना लालसोट को तामिल कराने हेतु।
5. सर्वेयर/खनि कार्यादेशक—ग कार्यालय हाजा।
6. नगर परिषद लालसोट।
7. श्री महेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

आज दिनांक २२।१२।२०२२ को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई है।

सहायक खनि अभियन्ता (वसूली)  
खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा

## विक्य की उद्घोषणा

(नियम 29 व 54)

न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली), खान एवं भूविज्ञान विभाग—दौसा

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान एकट 15 ऑफ 1956) की धारा 230-235-237 के अधीन चूक करने वाले श्री रमेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा, तथा विक्य का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पत्ति के विक्य के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है, विक्य सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों में सम्पत्ति का विक्य किया जायेगा।

स्थान को किसी आज्ञा के अभाव में, विक्य सर्वेयर/खनि कार्यदेशक—ग (अधिकारी का नाम बताया जाये) श्री राकेश कुमार मीना के द्वारा दिनांक ५.०२.२०२३..... को ...।।७८३...बजे (विक्य का स्थान बताया जाये) में किया जायेगा। तथापि किसी भी लोट की बोली खत्त होने से पहले अनुसूची में विर्विष्ट बकायों तथा विक्य के खर्च दे दिये जाने की दशा में विक्य बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्य के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्य, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा। विक्य की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये हैं, परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि, गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्य करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के सम्बन्ध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में लॉट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जावेगा।
3. सबसे ऊंची बोली लगाने वाला किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि वह बोली लगाने के लिए वैधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि ऊंची बोली को मंजूर करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विक्य करने वाले अधिकारी के विवके पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।
4. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ओर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्य को स्थगित करना, विक्य करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में, प्रत्येक लॉट का मूल्य विक्य के समय या विक्य करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति की दशा में खरीदार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्य मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत, विक्य करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विक्य में होने वाले खर्च के लिए तथा पुनः विक्य के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिए उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजस्व बकाया हो।

(ख) खरीददार द्वारा क्य मूल्य की पूरी रकम, सम्पत्ति के विक्य के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अधिक के क्य मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्य की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी। विक्य का खर्चा निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी और दोषी खरीददार सम्पत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिए वह फिर से बेची जाये, समर्त हक खो देंगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्य की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारों से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्य के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फैकिर्यों के निर्माण के लिये या बागों तालाबों नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये, अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्य किये जा चुकाने से पूर्व सिकी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मारफत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्य किया जाये जैसा कि सरकार उचित समझे।

### अनुसूची वसूल की जाने वाली रकम

- राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम:- 339950/-
- कुर्की का खर्चा:- नियमानुसार
- विक्य का या यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चा:-  
नियमानुसार।

योग:-339950-

**बेची जाने वाली सम्पत्ति:-** श्री रमेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्बत् 2072-2075 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 41 व नया खाता संख्या 40 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 131 रकबा 4.02 बीघा-बीस्वा में हिस्सा 1/2 एवं पुराना खाता संख्या 40 व नया खाता संख्या 39 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 15.16 बीघा-बीस्वा में हिस्सा 68/316.

**समूहों (लॉटों) की संख्या:-**

बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण:- बाकीदार श्री रमेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्बत् 2072-2075 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 41 व नया खाता संख्या 40 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 131 रकबा 4.02 बीघा-बीस्वा में हिस्सा 1/2 एवं पुराना खाता संख्या 40 व नया खाता संख्या 39 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 15.16 बीघा-बीस्वा में हिस्सा 68/316.

राजस्थान एकट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विकाय की दशा में निर्धारित राजस्वः—  
भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मारफत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो  
उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एकट 15 ऑफ 1956 की  
धारा 236 की उप-धारा (3):—

क्रमांक:— सख्त/दौसा/वसूली/2022/ 1526-1532

दिनांक: 22/12/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
2. श्रीमान् तहसीलदार, लालसोट
3. DMGOMS को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करावे।
4. पुलिस थाना लालसोट को तामिल कराने हेतु।
5. सर्वेयर/खनि कार्यादेशक—ग कार्यालय हाजा।
6. नगर परिषद लालसोट।
7. श्री रमेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

आज दिनांक 22/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई है।

सहायक खनि अभियन्ता (वसूली)  
खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा